रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222500 CG-DL-E-16102020-222500

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3220] No. 3220] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2020/ आश्विन 23, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2020/ ASVINA 23, 1942

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3632(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4612 (अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 दिसम्बर, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थी:

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य 26° 35' 21.5" उ अक्षांश 77° 36' 25.7" पू देशांतर और 26° 32' 39.7" उ अक्षांश और 77° 34' 21" पू देशांतर के बीच स्थित है। अभयारण्य राजस्थान राज्य में धौलपुर जिले के बरी तहसील में जिला मुख्यालय धौलपुर के दक्षिण-पूर्व की ओर लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 34.41 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अधीन 7

4954 GI/2020 (1)

नवम्बर,1955 को 'रिजर्व क्षेत्र' अधिसूचित किया गया था। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के तहत 'समकक्ष अभयारण्य' है। रामसागर वन खंड की प्रारंभिक अधिसूचना 21 जून, 1956 को जारी की गई थी। इस वन खंड की अंतिम अधिसूचना 21 नवम्बर, 1979 को जारी की गई थी। वन खंड का कुल क्षेत्रफल 34.4101 वर्ग किलोमीटर सहित इसमें सात कम्पार्टमेंट है;

और, रामसागर बांध के साथ रामसागर संरक्षित क्षेत्र के वनों में स्थानीय वनस्पित और जीवजंतु के पारिस्थितिकी स्थल के प्रतिनिधि के रूप में विकास की क्षमता है। इस क्षेत्र में वन के प्रकार हैं:- (क) उत्तरी उष्णकिटबंधीय शुष्क पर्णपाती कंटीले वन(4बी) (ख) उत्तरी उष्णकिटबंधीय शुष्क पर्णपाती वन (5बी), (ग) नाला में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन (सी2) अभयारण्य के बाहरी क्षेत्रों में बडी संख्या में ग्राम स्थित है। अभयारण्य के वन इस अर्ध-शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिकी सुरक्षा स्थिरता और उन्नत पर्यावरण प्रदान करते है। इस प्रकार, अभयारण्य का संरक्षण महत्वपूर्ण है। रामसागर बांध 1905 में सिंचाई के उद्देश्य से पारबती नदी पर बनाया गया और तटबंध के निचले भाग में सिंचाई के लिए नहरों की प्रणाली के रूप में विद्यमान हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में मुख्य वनस्पित खैर (अकैशिया कटेचु), रोंझ (अकैशिया लेउकोफलोइया), कुमथा (अकैशिया सेनेगाला), ढोंक (एनोगेइसस पेंडुला), हिंगोट (बालानिटेस इजिप्शिया), ढाक (बुटेआ मोनोस्पर्मा), करईल (कैप्पारीस डेकिडुआस), हेन्स (कप्पारीस सेपिअरिया), लासोडा (कोरडिअ मयक्या), बारना (करेटेइवा रेलिजिओसा), थौर (इयुफोरबिया स्पा.), पापड़ी (होलोप्टेलिया इंटग्रिफोलिया), जामुन (सिज़ेगियम कुमिनि),बेर (जिजयफुस मौरिटीअना), काला सिरिस (अल्बिजिया लेब्बक), कडम (मित्राग्नेय पर्विफ्लोरा), सेंथा (बउहीनिया रेकेमोसा), गोयाखैर (डीचरोस्टेचयस सिनेरारिया), बाध (फिकस स्पा.), गथबेर (ज़ीज़यफोस क्सीलॉपीरूस), खिरनि (ब्रिघटिआ टिंकटोरिया), आदि है;

और, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य से मुख्य जीवजंतु भारतीय बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा क्रिस्टटुस), रीछ (मेलर्सस अरिसनस), बनिबलार (फेलिस चाउस), ब्लू बुल/नीलगाय (बोसेलाफुस त्रगोचमेलुस), भारतीय खरगोश (लेपुस निगरीकोल्लिस रूफिकउडाटुस), हेज हॉग (हेमिचिनुस उरिटस), धारीदार लकड़बग्घा (हाइना हायना), सियार (कैनिस ऑरियस), सामान्य नेवला (हेरपेस्टड इडवार्डसी), काला हिरण (एंटिलोपे सेर्विकारपा), कराकल (फेलिस कराकल), चिंकारा (गजेल्ला गजेल्ला), जंगली कृत्ता (कुओन अल्पाइंस), भारतीय लोमड़ी (वुल्प्स बेंगलेंसिस), बिल्ली-तेंदुआ (फेलिस बेंगलेंसिस), सांभर (रुसा यूनीक्लोर), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस), मगरमच्छ (क्रोकोडायलुस पालुस्ट्रीस), कछुआ, मगरमच्छ (गविअलिस गेंगेटीकस), आदि अभिलिखित किए गए है;

और, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां ब्लू-चीक्ड बी-ईटर (मेरोप्स पेरसिकस), ग्रीन बी-ईटर (मेरोप्स ओरिइंटलिस), भारतीय रोल्लर (कोरािकयास बेंघालेंसिस), सामान्य बाज़-कोयल (हिइरोकोक्सी वारिउस), रेड-वेंटेड बुलबुल (पिक्रोनोटस केफर), केस्टेड बंटिंग (मेलोफुस लाथािम), वाइट-आइड बुज्जार्ड (बुटस्टुर टैसा), सिट्रीनवैगेटइल (मोटािसिल्ला अिकटरेओला), लार्ज पिइड वैगेटइल (मोटािसिल्ला माडेरास्पटेंसिस), साधारण गोल्डन ओरिओल (ओरिओलुस ओरिओलुस), ब्लैक-रम्पेड फ्लेमबैक (डिनोिपिउम बेंघालेंसे), येलो-क्रोनेड कठफोड़वा (डेंड्रोकोपास महराट्टेंसिस), आदि हैं; जबिक अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण तितली, कीड़े-मकोड़े, सरीसृप प्रजातियां पायथन (पायथन मोलुरूस), रूस्सेल विपर (पिपेरा रूस्सेल्ल), कोबरा (नाजा नाजा), रेट स्रेक (पतयस मुकोसुस), सामान्य करैत (बुंगारूस केइरूलेउस), भारतीय मॉनीटर (वारानुस ग्रिसेउस), आदि अभिलिखित की गई है;

और, अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय प्रजातियों में लकड़बग्घा (*हाइना हाइना*), रीछ (*मेलर्सस* अरसिनस), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*) आदि हैं;

और, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के धौलपुर जिला के रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को रामसागर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिस्चित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थातु:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 27.50 वर्ग किलोमीटर है। अभयारण्य की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:

दिशा	विस्तार (किलोमीटर)
उत्तर	0
उत्तर-पूर्व	1
पूर्व	1
दक्षिण-पूर्व	1
दक्षिण	1
दक्षिण-पश्चिम	1
पश्चिम	1
उत्तर-पश्चिम	1

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार को उचित ठहराया गया- "रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा रामसागर बांध का तटबंध है जो 1905 में बनाया गया था। बांध का उपयोग सिंचाई उद्देश्य के लिए किया गया है। उत्तर में तटबंध के ठीक नीचे, बांध, नहर प्रणाली कृषि भूमि और ग्राम हैं। इस स्थायी संरचना को अभयारण्य के उत्तरी भाग में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में लिया गया है। तटबंध से आगे पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार करने से स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष होगा। इसलिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा की भौतिक विशिष्ठता का उपयोग करके सीमा को शून्य रखा गया है।"

- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध-।** के रूप में उपाबंध है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग और उपाबंध-IIघ के रूप में उपाबंध है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-IV के रूप में उपाबंध है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचिलक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकिलत करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.—
  - (i) पर्यावरण;
  - (ii) वन और वन्यजीव;
  - (iii) कृषि;
  - (iv) राजस्व;
  - (v) शहरी विकास;
  - (vi) पर्यटन;
  - (vii) ग्रामीण विकास:
  - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
  - (ix) नगरपालिका;
  - (x) पंचायती राज; और
  - (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचिलक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

- (8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थातु:-
- (1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्नों प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना विधि और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी सिमिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

- (ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

- (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।
- (ख) पर्यटन महायोजना, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थातु:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बिहस्राव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बिहस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के

निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

7

- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) यानीय यातायात.- यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।
- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) औद्योगिक ईकाइयां.- (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

- (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सिम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
		(-)
	अ. प	व्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों
	अपघर्षण इकाइयां ।	की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए
		धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और
		विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण
		इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी:
		(ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन.
		गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम
		न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका
		(सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में
		तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान
	उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी:
		परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में
		जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि
		अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर
		गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त
		गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत हाइड्रो विद्युत परियोजना की	प्रतिषिद्ध।

किसी परिसंकटसय पदार्थ का उपयोग या उताहित वा प्रसंकरण। प्रतिपिद्ध।   अनुपवादित बहिसांव का निस्सारण। पितिपद्ध। प्रतिपिद्ध। प्रतिप्रतिकी प्रवेद नियानवापों नषु अस्थापी संप्तनाओं के निवाय वार्यापान। प्रतिप्रतिकी प्रवेद नियानवापों नषु अस्थापी संप्तनाओं के निवाय वार्यापानिव्धतिकी सेवेदी नोत के निवाय के अनुवान नहीं होगी।    प्रतिप्रतिप्तिप्तिप्तिप्तिपतिव्धतिव्धतिव्धतिव्धतिव्धतिव्धतिव्धतिव्ध	4.         किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रशंकरणा         प्रतिविद्ध।           5.         प्रावृक्त जल निकसों या क्षेत्र धृति से प्रतिविद्ध।         प्रतिविद्ध।           6.         नई आरा मिलों की स्थापना।         प्रतिविद्ध।           7.         ईट मट्टों की स्थापना करना।         प्रतिविद्ध।           अ. विविद्धात करना।           अ. विविद्धात करना करना।           अ. विविद्धात करना करने करने करने करने करने करने करने करने		स्थापना ।		
5.         प्राकृतिक जब तिकारों या क्षेत्र भूमि में अपृत्तिक सुनि संग्रापता बहिलाई का विस्तारण ।         प्राकृतिक जब तिकारों या क्षेत्र भूमि में अपृत्तिक सुनि सुनि सुनि सुनि सुनि सुनि सुनि सुनि	3. अपाइतक जब तिकारों या अंत्र जूसि में अपुर्विक जिल्ला कि विकास का निकास का निकास का निकास का निकास का मिला कि विकास का मिला के प्रतिष्ठित के अपुर्विक के प्रतिष्ठित के अपूर्विक के अपुर्विक के अपुर्विक के प्रतिष्ठित के अपूर्विक के अपुर्विक के विकास के अपुर्विक के के अपुर्विक के के अपुर्विक के के अपुर्विक के	4		प्रतिषिद्ध।	
5.       प्राकृतिक जिलायों या क्षेत्र भूमि में अनुप्तारित बहिजाँन का निस्तारण ।       पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुवान नहीं होगा ।         7.       ईट भट्टों की स्थापना करना।       पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुवान नहीं होगा ।         8.       बाणिब्यक स्थापनों और रिसोटों की स्थापना ।       पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थापी संरचनाओं के सिवार मंत्रीका केल की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर वा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार नहीं किया आएएएा:	5.         प्राकृतिक जान तिकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपतारित बहिजांन का निस्तारण ।         प्रतिविद्धा           6.         करिया मिलों की स्थापना         प्रतिविद्धा           7.         र्डट शट्टों की स्थापना करना।         प्रतिविद्धा           आ. विनियमित क्रियाकलाप           8.         याणिज्यक स्थापनों और रिसोटों की स्थापना ।         प्रतिविद्धा           श. विनियमित क्रियाकलाप           8.         याणिज्यक स्थापनों और रिसोटों की स्थापता हुए इसे जो भी निकट है, नए वाणिखिक होटल और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:           परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर दो परंतु यह कि संरक्षित के किया जाएगा:           परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर दो परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर दो परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर दो परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र का सारंति की अनुत्य होगा।           9.         सैनिर्माण क्रियाकलाण ।         (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर या पारंत्विकी से संदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट हो स्थी पी प्रकट होगा।           9.         सैनिर्माण क्रियाकलाण ।         (क) संरक्षित क्षेत्र सीमाण की अनुज्ञा होगी.           परंतु यह कि संपत्र के अनुज्ञा होगी.           परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अनुज्ञा होगी.           परंतु यह कि संपत्र कुण के अनुज्ञा होगी.           परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अनुज्य डोगी.           परंतु यह कि संपत्र के अनु				
अतुपचारित बहियाँच का निस्सारण ।   विकास अनुपान नहीं हो स्थापना करना ।   विकास अनुपान नहीं हो सा ।   प्रतिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विकास अनुपान नहीं हो सा ।   प्रतिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विकास अनुपान नहीं हो सा ।   प्रतिस्थितिकी संवेदी जोन के विकास तम संविद्या के भीतर वा पारित्थितिकी संवेदी जोन के विकास तम हो किया जाएगा:   परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर वा पारित्थितिकी संवेदी जोन के विकास तम हो किया जाएगा:   परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर वा पारित्थितिकी संवेदी जोन के विकास तक हम में से , जो भी निकट हो, तर वाणित्यक होटल और रिसोर्ट के भीतर वा पारित्थितिकी संवेदी जोन के विकास का क्ष्मि होता के अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर वा पारित्थितिकी संवेदी जोन के विकास का कर का ना परंतन का वाणित्यक संविद्या की अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि स्थानिया अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान के अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान के अनुपान होंगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान हों होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान के अनुपान होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान कि अनुपान होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान के अनुपान होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान के अनुपान होगी:   परंतु यह कि के प्रतास के अनुपान होगी:   परंतु यह कि के प्रतास के अनुपान होगी:   परंतु यह कि स्थानिय अनुपान के अनुपान होगी:   परंतु यह कि स्थानिय मां के अनुपान विनियमित होगी     विव्य कि अप्यो विवय के अनुपान विनियमित होगी     विव्य कि स्थान होग	अनुपन्नारित बहिर्बाच का निम्मारण ।   विस्तार अनुवान नहीं होगा ।   पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुवान नहीं होगा ।   प्रतिथिद   प्रतिथि	5		प्रतिष्रिद्ध।	
6.         नई आरा मिलों की स्थापना         गारिस्थितिकी गंथेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुवात नहीं होगा।           7.         ईट मट्टों की स्थापना करना।         प्रतिपिद्ध           8.         वाणिज्यक स्थापनों और रिसोटों की स्थापना।         गारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापं लघु अस्थापी संरचनाओं के निवास संरक्षत के की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या गारिस्थितिकी ने लेक निवास तक, इनमें जो भी निकट है, तप वाणिश्यक होटल और रिसोटों को अनुवात नहीं किया जाएगा:	6.         नई आरा मिलों की स्थापना।         पारिस्थितिकी गोंवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुवात नहीं होगा।           7.         ईट मट्टों की स्थापना करना।         प्रतिभित्रति प्रियंकलाप           8.         वाणिजिक स्थापनों और रिसोटों की स्थापना।         पारिस्थितिकी पर्यटन कियाकलापं लयु अस्थापी संरचनाओं के मिवाय संरक्षित अंक की गीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संदेशों जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिजियक होटल और रिसोटों को अनुवात नहीं किया जाएगा:	J.			
विस्तार अनुजात नहीं होगा ।   विर्तार अनुजात नहीं होगा ।   व्यापियक स्थापनो और रिसोटों की स्थापना ।   विर्तार अनुजात नहीं किया पण स्थापनो और रिसोटों की स्थापना ।   विर्तार अंद्रेश की सीमा में एक कियोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संबी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यक होटल और रिसोटों को अनुजात नहीं किया जाएगा:   परंतु यह कि संरक्षित अंत्र की सीमा में एक कियोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संबी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए परंटन क्रियाकलाप या विद्रमान क्रियाकलाप का विस्तार परंटन महायोजना और यथा लानू मार्गटर्शी सिद्धानों के अनुरार होगा ।   विक्रमान क्रियाकलाप ।	विस्ताप अनुज्ञान नहीं होंगा ।   वैर पहों की स्थापना करना।   आ. विरिद्धा   अ. विर्धाल क्रियाकलापा ।   अ. विरुद्धा   व. विर्धाल क्रियाकलाप या विर्धाना क्रियाकलाप का विरतार पर्यटन   महायोजना और यथा लागु मार्गस्था मिहित्या लाएगा   अ. विरिद्धाल क्रियाकलाप या विर्धाना क्रियाकलाप का विरतार पर्यटन   महायोजना और यथा लागु मार्गस्था कियानलाप का विरतार पर्यटन   महायोजना और यथा लागु मार्गस्था कियानलाप का विरतार पर्यटन   महायोजना और यथा लागु मार्गस्था कियानलाप का विरतार पर्यटन   महायोजना और यथा लागु मार्गस्था कर्मुल्ला नहीं होगी:   परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नविद्धा   विर्धाल क्षेत्र के मीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी   संद्धी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के   नवे वाणिज्यक संनिर्माण कीयनुल्ला नहीं होगी:   परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नविद्धा   क्षेत्र कलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-   विद्धियों के अनुतार, सनिर्माण करने की अनुत्रा होगी:   परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों में संबंधित संवित्धा   क्षेत्र कलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपन   विर्विधाल होगे     (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुतार   विर्विधाल होगे     (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुतार   विरिव्धाल होगे     (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुतार   विर्विधाल होगे     (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुतार   विरिव्धाल होगे     (ख) एक किलोमीटर के से से पर ये आंचलिक महायोजना के अनुतार   विर्विधाल होगे     विर्विध	6.	<u> </u>	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का	
अ. विनियमित क्रियाकलाप   विराणियक स्थापनों और रिसोटों की पारिश्वितिकी पर्यटल क्रियाकलाएं लघु अस्थायी संरचनाओं के यिवाय सरिक्षत क्षेत्र ने पारिश्वितिकी पर्यटल क्रियाकलाएं लघु अस्थायी संरचनाओं के यिवाय सरिक्षत क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर या पारिश्वितिकी ने के वित्तर तक, इनमें की लिकर है, नए वाणिज्यक होटल और रिसोटों को अनुजात नहीं किया जाएगा:   परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिश्वितिकी मंबेदी जोन के वित्तर तक, इनमें से, बोधी निकट हो सभी नए पर्यटन क्षियाकलाप या विद्यान कियाकलाप का वित्तरा पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गवर्शी मिद्धांतों के अनुरण होगा।   कि. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिश्वितिकी मंबेदी जोन के वित्तर तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगा।   कि. संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिश्वितिकी मंबेदी जोन के वित्तर तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगा।   परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिवित आवश्वरकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीवद्ध क्रियाकलाणं सहित अपने उपयोग के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीवद्ध क्रियाकलाणं साह तथानीय के अनुजा होगी:   परंतु यह कि शैर-मार्गवेश के अनुसार, संनिर्मयमें अपने वित्तर की अनुजा होगी:   परंतु यह कि शैर-प्रवृत्त के किए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीवद्ध क्रियाकलाणं साह तथाने के अनुतार, संनिर्मण करने की अनुजा होगी:   परंतु यह कि शैर-प्रवृत्त के तथाने के अनुजार से किए, विश्व को अनुजार होगी में संबंधित की अनुजार होगी के अनुजार होगी के अनुजार होगी के अनुजार के अनुजार होगी के अनुजार करने वाले लघु उद्योग ।   (अ) एक किलोमीटर क्षेत्र से परंत्र की कार्योजना के अनुजार होगी के उत्यय करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी को उत्यय करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी के उत्यय कियो कि स्वर्य के अनुजार होगी में स्थान परंत्र की कराई नहीं होगी।   विश्व की सीमार होगी से स्थान विश्व सित्र होगी (भूमियत केवल के विद्याण को किया का परंत्र से अनुजार विनयमित होंगे। (भूमियत केवल के विद्याण का परंत्र का परंत्र का परंत्र का स्थान का अधीन विनयमित होंगे। (भ	अ. विनियमित क्रियाकलाप   विनियमित क्रियाकलाप   विनियमित क्रियाकलाप   विनियमित क्रियाकलापाँ लघु अस्थावी संस्वनाओं के सिवाय संस्थित की वर्ष पर्यटन क्रियाकलापाँ लघु अस्थावी संस्वनाओं के सिवाय संस्थित की वर्ष मीमा से एक विलोमीटर के पीतर या पारिस्थितिकी संविदी ओन के विस्तार वक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यक होटल और रिमोटों को अनुजात नहीं किया जाएगा:   परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक विलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी ओन के विस्तार वक इनमें से और निकट हो सभी नए पर्यटन क्षियाकलाप या विद्यमात क्षियाकणा का विस्तार के स्वायकलाप का विस्तार का क्ष्रा क्षेत्र या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार वक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के महायोजना और यथा लागू मार्गवर्शी मिद्धांतों के अनुरुष होगा:   परंतु यह कि स्वानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्निलिख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भरती भूमि में भवन उप-विधियों के अनुतार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:   परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू निम्मों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुतार सक्षम प्राधिकारों की पूर्व अनुप्ति से विनियमों, यदि कोई हों, के अनुतार सक्षम प्राधिकारों की पूर्व अनुप्ति से विनियमों, यदि कोई हों, के अनुतार सक्षम प्राधिकारों की पूर्व अनुप्ति से विनियमों के किए, अपनी भूमें के अनुतार होंगे।   परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू निम्माण करने की अनुता होगी:   परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संवंधित संनिर्माण होंगे।   परंतु यह कि गौर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संवंधित के अनुतार होगे।   परंतु यह कि गौर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग सक्षम प्राधिकारी के उत्यादों को उत्यक्त करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुता के किया परावस्थ प्राधिकारी के अनुतार होगे।   विवाय के अनुतार विनियमित होंगे।   विवय और केवलों के विद्याएं जाने और अपना विनियमित होंगे। (सूमिगत केवल के विद्याएं जाने और क्राया) विवय सेवला के विद्याएं जाने और क्राया अनुतार।			विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।	
8.       वाणिज्यिक स्थापनों और रिसोटों की स्थापना।       पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरवनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर या पारिस्थितिकी संबेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोटों को अनुजात नहीं किया जाएगा:	<ul> <li>श. वाणिज्यक स्थापनों और रिसोटों की स्थापना।</li> <li>श. वाणिज्यक स्थापनों और रिसोटों की पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरवनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीनर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें ओ भी निकट हो, नए वाणिज्यक होटल और रिसोटों को असुनात नहीं किया जाएगा:</li></ul>	7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।	
स्थापना। संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए बाणिज्यक होटल और रिसोरों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन कियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।  9.  संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये बाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूमि में भवन उपनिध्यों के अनुसार, संनिर्माण करने के अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों ते कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंवलिक महायोजना के अनुसार होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंवलिक महायोजना के अनुसार होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंवलिक महायोजना के अनुसार होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंवलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे। (ख) प्रकृति महायोजना राज्य होंगे और अनुवार होंगे। (ख) प्रकृति महायोजना राज्य होंगे। (ख) प्रकृति से स्थाप प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व के कराई नहीं होंगी। (ख) त्रृत्यों की कराई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन वाण प्राच्यों के अनुसार विनियमित होंगे।  वाण विधियों के अनुसार विनियमित होंगे। भूमिमत केवल के विद्याए जो के कियाल को की का प्राच्यों के अनुसार विनियमित होंगे।  वाण विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।	स्थापना।  संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के शीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यक होटल और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन फ्रियाकलाप या विख्यान क्षित्रकारण का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गवर्शी सिद्धांतों के अनुरुष होगा।  सिद्धांतों के अनुरास ते के सिमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्षित्रवाकलाप लागू निवमों और विनियमीत किए आपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, सीनमाण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संवंधित संनिर्माण किस्मकलाप लागू निवमों और विनियमीत किए आएंगे और वे व्यूनतम होंगे।  (व) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार हिमियमित होंगे।  (व) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार हिमियमित होंगे।  स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग से पर्ते प्रवृत्त करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी के उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी के उत्पन्न होंगे।  (व) एक किलोमीटर क्षेत्र से प्रवृत्त करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी के उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी के उत्पन्न होंगे।  (व) कृषों की कटाई संविधित केत्रीय या राज्य अधितयम या उसके अधीन वाराएण।  वया संवर्ष सामग्री के उत्पन्न के अनुसार विनियमित होंगे।  संग्रहण।  विद्यत और संचार टावरों का परिनिर्माण को बत्यान प्रक्रिया।  विद्यत और संचर टावरों का परिनिर्माण को बताय सम्वर्ग।।  विद्यत और संचार टावरों का परिनिर्माण को बताय सम्वर्ग।।		आ. वि	वेनियमित क्रियाकलाप	
संबेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें में, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन कियाकलाप या विद्यमान कियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गवर्शी सिद्धांतों के अनुत्य होगा।  9. संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुता नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुता होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों में संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुता होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों में संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।  पर्तियमित होंगे।  क्रियाण उत्पास न करने वाले लघु उद्योग।  पर्तियमित होंगे।  क्षित्र के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिस्वत्वकी संवेदी जीन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पास करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुतात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुता के बिना वन, सरकारों या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में बुलों की कटाई नहीं होगी।  (ख) बुलों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उत्तके अधीन वाए एनियमों के उपवेध के अनुतार विनियमित होंगे।  लागू विधियों के अनुतार विनियमित होंगे।  लागू विधियों के अनुतार विनियमित होंगे। (भूमिनत केवल के बिद्धए जाने सी कार के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिनत केवल के बिद्धए जाने सी कार के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिनत केवल के बिद्धए जाने सी कार के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिनत केवल के बिद्धए जाने सी कार के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिनत केवल के बिद्धए जाने सी कार कार के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिनत केव	संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से निकट हो सभी नए पर्यटन मिज्ञयकलाप या विद्यमान कियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।  9. संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरिक्षत क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीवर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के न्ये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संविम्मण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुसात के से स्वाधिक संविम्मण कियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से वर्गीवस्तात के अनुसार विनियमित होंगे।  परंतु यह कि गौर-प्रदूषणकारी ज्ञान कोई हारा जारी उद्योगों में वर्गीवस्त होंगे।  परंतु यह कि गौर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और संवा उद्योग, कृषि, पूण कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी साम्मी से उत्यादों को उत्यान करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी हारा अनुजात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुजा के विना वन, सरकार या राजस्व या ताजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (व) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  वाण् विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।  वाण् विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अन्य	8.	वाणिज्यिक स्थापनों और रिसोर्टों की	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय	
और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:   परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या   पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी   नए पर्यटन क्षियाकलाप या विद्यमान स्थानलाप का निकट हो सभी   नए पर्यटन क्षियाकलाप या विद्यमान स्थानलाप का निकट हो, किसी भी प्रकार के   महायोजना और यथा लागू मार्गेटर्शी सिद्धांतों के अनुक्त होगा।   (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी   संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के   नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:   परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित   आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-   विश्यों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:   परंतु यह कि भैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण   क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यित कोई हों, के अनुसार सक्षम   प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम   होंगे     (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार   विनियमित होंगे     पर्याण उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग     प्रत्या किसी से केन्द्रीय प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिस्वरक्तम सं, लघु   और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी   जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित   उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे    (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन,   सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे     (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन,   सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन,   सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे     (ख) वृश्यों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन   वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे     जाणू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने की किया का स्थान के अपने स्थान होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने की का स्थान होंगे के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने की का स्थान केवल केवल केवल केवल केवल केवल केवल केवल	श्रीर रिसोर्टों को अनुजात नहीं किया जाएगा:  परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या  पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी  नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन  महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी निद्धांतों के अनुरुष होगा।  श्री संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरिक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पीतर या पारिस्थितिकी  संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के  नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित  आवश्यकलागों सिहत अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संवंधित संनिर्माण  क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमीत किए जाएंगे और वे न्यूनतम  होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार सिम्मण  क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमीत किए जाएंगे और वे न्यूनतम  होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार  विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार  विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार  विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार  विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार  विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार  विनियमित होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की उदाय करने वाले कृषि आधारित  उद्योग सक्षम प्राधिकारी हारा अनुजात होंगे।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन  वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  संग्रहण ।  विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण  और केवलों के विद्याए जाने और अन्य  हो बहुत और संचार टावरों का परिनिर्माण  और केवलों के विद्याए जाने और अन्य		स्थापना ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी	
परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संबेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यामा क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुष होगा।  (क) संरक्षित क्षेत्र के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संतिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  रद्रूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  क्षत्र सेवा उद्योग पर्दूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, एण कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या तिजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होंगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवेध के अनुसार विनियमित होंगे।  वान उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने के क्रियान वाने की स्थार के क्रान्य विवियमित होंगे।  वान उत्पादों को भीर स्थार द्वारों का परितिमाण को किया के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने क्ष्य के अनुसार विनियमित होंगे।	परंतु यह कि सरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना शैर यथा लागू गार्यवर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।  9. संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरित्रत क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुजा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्निलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यह कोई हों, के अनुगार सथम प्राधिकारी की पूर्व अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों में संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुगार सथम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर के परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  करवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोई द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन वनाए ए नियमों के उपसार विनियमित होंगे।  त्या उत्यादों या गैर काष्ट वन उत्यादों का परिनिर्माण और कवलों के विद्या या ग्राकेगा।  विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अन्य			संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल	
पारिस्थितिकी संबेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी फिद्धांतों के अनुरुप होगा।  9. संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरवित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीवद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण किषकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए, जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्ण कृषि, उद्यान करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृथों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वहा और संचार टावरों का परिनिर्मण लागू विधियों के अधीन विनयमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और केवल और केवल के विद्याए जाने अदित केवल के विद्याए जाने और केवल के विद्याए जाने केवल के विद्याए जाने केवल के विद्याए जाने केवल के विद्या जाने केवल के विद्याए जाने करा केवल केवल केवल केवल केवल केवल केवल केवल	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुष होगा।  9. संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरंकित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्निलिखत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीवद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार विनियमित होंगे।  (ब) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किए जाएंगे और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग अनुकात होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण कारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग सक्षम प्राधिकारी उद्योग की उत्यान करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुकात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुका के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृओं की कटाई नहीं होंगी।  (व) वृओं की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए एनियमों के उपवेध के अनुसार विनियमित होंगे।  वान उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का नाणू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के बिद्धाए जाने और अन्य को ब्रावा दिया जा सक्षमा) वा वान सक्षा प्रताप वा नाण को का का बात को काण की का वाच वान को काण की सक्षा प्रताप का सक्षमा)			और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:	
नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुष होगा।  9. संित्तर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्निलिखत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रेरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों सहित अपने नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुसार ते विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुसार ते विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परं ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार वैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृपि, पुण्य कृपि, उद्यान कृपि या पानिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्पन्न करने वाले कृपि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी हारा अनुज्ञात होंगे।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  विद्यात और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अगुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने क्षार करने के क्षार करने के विव्यास के अधीन विनियमित होंगे।	नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी मिद्रांतों के अनुरुष होगा।  9. संनिर्माण क्रियाकलाप।  (क) संरवित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुता नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार विनियमों होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  करदर्त, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण कारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुण्य कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पाद करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  वृश्यों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृश्यों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृश्यों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्मण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य को बहावा दिया जा सरेगा।)			परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या	
महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।   (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।  (व) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्यान कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृंत्रों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना बन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृंत्रों की कटाई नहीं होगी ।  (ख) वृंत्रों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उत्याद या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उत्याद वेतियमित होंगे।  (व) वेद्या और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने	महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।   श्री संनिर्माण क्रियाकलाप ।   (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:   परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्निलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:   परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।   परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।   श्री एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।   अतृषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।   फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्यन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सभ्यम प्राधिकारी हारा अनुज्ञात होंगे ।   वृशों की कटाई ।   (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृशों की कटाई नहीं होगी ।   (व) वृशों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपत्रंघ के अनुसार विनियमित होंगे ।   विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य स्वादिया जा सकेवाए।			पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी	
<ul> <li>श. संनिर्माण क्रियाकलाप।</li> <li>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</li></ul>	<ul> <li>शं संनिर्माण क्रियाकलाप।</li> <li>(क) संरक्षित क्षेत्र क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</li></ul>			नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन	
संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पृष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (ख) वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुतार विनियमित होंगे।  वात्र उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्यार सेत संवार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने	संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित  आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध  क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संतिर्माण  क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम  प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में  वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना बन,  सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन  वनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का  संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण  और केवलों के विद्याए जाने और अन्य।  को बदावा दिया जा सकेवार)।			·	
संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्यन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) कृषों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  वन उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्यार तरों के परिष्मण तरों और अस्ता परिनिर्मण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के विद्याए जाने	संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिहत अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुसति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पान करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य।	9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी	
नये वाणिज्यक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित  आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संबेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुतार विनियमित होंगे।  वात्र उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्यार सेत स्वार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के विद्याए जाने	नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:  परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुसति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परंतु 28 कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से वर्गाकरलाम लागू विश्वया पर्वे अंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गाकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना बन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या बनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य।			संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के	
परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनयमित होंगे।  पर्दिश एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनयमित होंगे।  पर्दिश एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनयमित होंगे।  पर्दिश प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  पर्दिश अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पृष्प कृषि, उद्यान कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा होगी।  वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।  विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्धाए जाने और केवलों के विद्याल वारो और अधीन विनियमित होंगे।	परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण किर्मेशण बोई द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ट वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जान को बहुवा दिया जा सकेगा)।			नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:	
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पान्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का स्विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।  वीद्यत और संचार टावरों का परिनिर्माण को कि अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को कराई के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को कराई कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने कराई कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने कराई कराई कराई के अर्थीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने कराई कराई कराई कराई केवल केवल केवल केवल कराई कराई कराई कराई कराई कराई कराई कराई	आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध कियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संबेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  वशों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) बृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  वा उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  वागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्धाए जान को बहाबा दिया जा सकेगा)।			5 , ,	
क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप- विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्यादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (ख) वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्यादों या गैर काष्ठ वन उत्यादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लोगू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने	क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्ण कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना बन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्यादों या गैर काष्ठ वन उत्यादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संवार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य के ब्रावा दिया जा सक्षेगा।				
विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुजा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमीत किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुजात होंगे।  वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना बन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या बनों में वृक्षों की कटाई नहीं होंगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  वार्ष विश्वया यो गैर काष्ठ वन उत्पादों का लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के बिद्धाए जाने और केवलों के नियम करने और काल	विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी:  परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने को बदाबा दिया जा सकेवाए)				
परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पृष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  वार् उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।  विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के विद्याए जाने और केवरों के क्षार करने केवल के विद्याए जाने और केवरों के असीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और केवरों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने केवर केवरों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने केवर केवरों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने केवर केवरों के अनुसार केवरियान करने और काल	परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।  (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  परवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पृष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुजात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुजा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्याए जाने और अन्य को बहाबा दिया जा सकेगा।				
क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के विना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपवंध के अनुसार विनियमित होंगे।  संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने	कियाकलाप लागू नियमों और विनियमीं, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचिलक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।  वागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।  वागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और केवलों के विद्याए जाने और अन्य			विद्याया के अनुसार, सानमाण करने का अनुज्ञा होगा: 	
प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुजात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अनुता के कार्यों के विद्यार सार्व और अस्ता विवियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अनुता केवल के विद्याए जाने और कार्यों के अनुता विवियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और कार्यों के अनुता विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने	प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्युए जाने और अन्य।			परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण	
प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचिलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  तागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अर्थान विवियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अर्थान विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अर्थान विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने और अर्थान	प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के विद्युए जाने और अन्य।			क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम	
(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केवल के विद्याए जाने	(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।  10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना बन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या बनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के बिछाए जाने और अन्य			प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम	
विनियमित होंगे     प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग   फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।   वृक्षों की कटाई   (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी     (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे     विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	विनियमित होंगे     प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग   फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।   वृक्षों की कटाई     (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी     (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे     वा उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण     वा वृक्षों के अनुसार विनियमित होंगे     वा वृक्षां के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ाय दिया जा सकेगा।			होंगे।	
10.       प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।       फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।         11.       वृक्षों की कटाई ।       (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।         (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।         12.       वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।         13.       विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण को स्वर्ध के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनयमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनयमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनयमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का स्वर्ध के अनुसार विनयमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जान का स्वर्ध के अनुसार विनयमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने का	10. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पृष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के बिछाए जाने और अन्य			(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार	
वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपिरसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  तविद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवल) के बिछाए जाने	वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा।			विनियमित होंगे ।	
वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपिरसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  तविद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवल) के बिछाए जाने	वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केवलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा।	10	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघ उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में	
और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केन्द्रों के विद्याप तारों और अपन	और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा।			**	
जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवलों के विद्यार उसके अधीन	जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा।				
उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या बनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवलों के विद्यार नार्य और अनुसार विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।  11. वृक्षों की कटाई ।  (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढावा दिया जा सकेगा।				
सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवलों के विद्यार उसने और असा	सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य				
सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवलों के विद्यार उसने और असा	सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।  (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य	11	वक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम पाधिकारी की पर्न थनचा के निना तन	
होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केवलों के विद्यार उसके और असा	होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढावा दिया जा सकेगा।	' ' '		1	
(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढावा दिया जा सकेगा।			*`	
बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।  12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।				
<ul> <li>12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।</li> <li>13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केन्न्यों के विकास नार्ने और अन्तर</li> </ul>	12. वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केबलों के बिछाए जाने और उन्य				
संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	संग्रहण।  13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।			बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।	
13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	13. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।	12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।	
और केन्स्नों के निकास नारे और शना	और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा।		संग्रहण ।		
और केन्स्नों के निकास नारे और शना	और केबलों के बिछाए जाने और अन्य को बढ़ावा दिया जा सकेगा।	13	· ·	लाग विधियों के अधीन विनिमाणन नोंगे (जाएगन नेन्स के निस्सा नारे	
	ા માં લક્ષાવા હિયા ત્યાં મુખ્યામ	13.	- C	1 1 1	
बुनियादी ढांचे ।	3, 1, 1, 21, 41, 1,		T	क। बढ़ावा ादया जा सकगा)। 	
ાળાર પ્રાથમાં પ્રાથમિક માત્ર આવે છે. જે	ા માં લક્ષાવા હિયા ત્યાં મુખ્યામ		संग्रहण । विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने	

14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमनों तथा उपलब्ध
	सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर	
	से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन,	
	माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
	बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्घ	
	उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	
20.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन
	वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की	विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	स्थापना।	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्नाव के निस्सारण से
	उपचारित बहिर्स्नाव का निस्तारण ।	बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग
		के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित
		बहिर्स्नाव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
22.	सतहा आर मूजल का वााणाज्यक प्रयाग एवं निष्कर्षण ।	्लागू विशिधया के अनुसार विानयामत होगे । 
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा
	उपयोग के लिए ।	क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी किया जायेगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	प्रयोग ।	· œ o
	·	संवर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
	प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	why re it area has area.
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	रोपण । पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
JU.	उपयोग ।	
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

38.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थातु:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पदानिधान
(i)	जिला कलेक्टर, धौलपुर	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	उप संभागीय अधिकारी, बरी	सदस्य;
(iii)	माननीय वन्यजीव वार्डन, धौलपुर	सदस्य;
(iv)	प्रधान पंचायत समिति, बरी	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, सवाई-माधोपुर	सदस्य-सचिव।

### 6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/57/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-।

### राजस्थान राज्य में रामसागर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण क. संरक्षित क्षेत्र की सीमा का विवरण

पूर्व: सहेदी ग्राम

पश्चिम: जमूरा ग्राम

उत्तर: रामसागर बांध की सीमा

दक्षिण: धौलपुर गुरजा से राज्य राजमार्ग

### ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण-1 किलोमीटर

उत्तर: अहमदपुर (1) (उ 26°36'37.79" पू 77°36'4.65") कशोती खेरा (2) (उ 26°36'30.05" पू 77°36'54.92") आर टी पल पर (3) (उ 26°36'04.36" पू 77°36.59.07") महारानी के छतरी के पास (4) (उ 26°35'58.54" पू 77°35.58.36") (5) चोखापुरा मंदिर के पास (उ 26°36'48.74" पू 77°35'44.09")


पश्चिम: रामबाग नहर (6) (उ 26°36′53.30″ पू 77°35′27.09″) मन्दिर विशानगिरी (7) (उ 26°35′51.87″ पू 77°33′43.42″) नक्शोदा नाले पार (8) (उ 26°35′31.59″ पू 77°33′40.82″) मोजु की खीरखरी के पास (9) (उ 26°34′48.21″ पू 77°33′9.22″)

**दक्षिण:** रामबक्श का पूरा (10) (उ 26°33′52.53″ पू 77°33′04.29″) ओब्शा ग्राम से पश्चिममल (11) (उ 26°32′42.61″ पू 77°33′46.38″) बरहानाके पास (12) (उ 26°32′11.15″ पू 077°33′48.42″)


**पूर्व:** ओब्शा से पतिया झोर नाले पार (13) (उ 26°32'14.11" पू77°35'0.86") बनिये की पूरा (14) (उ 26°33'07.90" पू077°37'26.86") निझमपुर (15) (उ 26°36'27.42" पू77°38'43.35")

उपाबंध- IIक


### पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य का अवस्थान मानचित्र




उपाबंध-IIख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध-IIग भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध- ॥घ रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग पैटर्न मानचित्र



### उपाबंध-III

सारणी क: रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	26°35'15.27"उ	77°34'14.94"पू
2.	26°35'36.72"उ	77°34'15.17"पू
3.	26°36'0.38"उ	77°34'37.12"पू
4.	26°36'9.40"उ	77°35'1.19"पू
5.	26°36'16.84"उ	77°35'10.93"पू
6.	26°36'21.44"उ	77°35'25.95"पू
7.	26°36'6.79"उ	77°35'34.60"पू
8.	26°35'44.47"उ	77°35'40.59"पू
9.	26°35'28.96"उ	77°35'37.73"पू
10.	26°35'22.35"उ	77°35'47.57"पू
11.	26°35'30.00"उ	77°35'54.92"पू
12.	26°35'37.52"उ	77°36'8.65"पू
13.	26°35'46.43"उ	77°36'26.07"पू
14.	26°35'59.16"उ	77°36'52.13"पू
15.	26°35'39.06"उ	77°37'16.16"पू
16.	26°35'55.65"ਤ	77°37'19.58"पू
17.	26°35'55.01"उ	77°37'49.12"पू
18.	26°36'9.79"उ	77°37'53.83"पू
19.	26°35'40.33"उ	77°37'55.02"पू
20.	26°34'57.90"उ	77°37'53.74"पू
21.	26°34'20.58"उ	77°37'26.54"पू
22.	26°33'51.40"उ	77°36'36.87"पू
23.	26°33'42.76"उ	77°35'51.32"पू
24.	26°33'4.98"उ	77°35'31.98"पू
25.	26°32'23.80"उ	77°35'15.41"पू
26.	26°32'43.98"उ	77°34'45.80"पू
27.	26°33'20.33"उ	77°34'32.49"पू
28.	26°32'25.77"उ	77°34'2.18"पू

29.	26°32'53.99"उ	77°33'30.52"पू
30.	26°33'30.52"उ	77°32'52.03"पू
31.	26°33'7.82"उ	77°32'11.85"पू
32.	26°33'15.03"उ	77°32'41.78"पू
33.	26°33'58.24"उ	77°32'27.82"पू
34.	26°34'41.55"उ	77°33'24.04"पू
35.	26°34'24.21"उ	77°34'4.89"पू
36.	26°34'42.52"उ	77°34'35.18"पू
37.	26°34'47.68"उ	77°35'21.75"पू
38.	26°35'1.11"उ	77°35'32.02"पू
39.	26°35'15.15"उ	77°35'7.67"पू
40.	26°35'8.73"उ	77°34'38.57"पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	<b>26°35</b> '26.27"उ	77°34'18.09"पू
2.	26°35'51.28"उ	77°34'24.26"पू
3.	26°36'9.55"उ	77°34'48.07"पू
4.	26°36'13.09"उ	77°35'6.25"पू
5.	26°36'19.23"उ	77°35'17.88"पू
6.	26°36'14.60"उ	77°35'30.47"पू
7.	<b>26°35'55.42"</b> उ	77°35'38.16"पू
8.	<b>26°35'35.44"</b> उ	77°35'41.97"पू
9.	<b>26°35'23.84"</b> उ	77°35'41.07"पू
10.	<b>26°35'24.34"</b> उ	77°35'54.05"पू
11.	26°35'34.93"उ	77°36'0.52"पू
12.	26°35'41.97"उ	77°36'17.57"पू
13.	<b>26°35'52.84"</b> उ	77°36'38.24"पू
14.	26°36'8.37"उ	77°37'8.91"पू
15. 26°36'24.54"ৱ		77°37'39.32"पू
16.	<b>26°36'39.34"</b> उ	77°38'8.80"पू
17.	26°36'15.39"उ	77°38'34.68"पू
18. 26°35'32.82"ਤ		77°38'30.81"पू

19.	26°34'24.94"ਤ	77°38'5.42"पू
20.	26°33'35.04"उ	77°37'26.77"पू
21.	26°33'10.52"उ	77°36'8.41"पू
22.	26°32'10.31"उ	77°35'51.21"पू
23.	26°31'46.99"उ	77°35'6.99"पू
24.	26°32'3.53"उ	77°34'29.47"पू
25.	26°31'53.69"उ	77°33'45.63"प्
26.	26°32'16.86"उ	77°33'16.24"पू
27.	26°32'16.71"उ	77°32'41.82"पू
28.	26°32'32.40"उ	77°32'19.57"पू
29.	26°32'45.70"उ	77°31'45.38"पू
30.	26°33'10.99"उ	77°31'32.18"पू
31.	26°33'33.42"उ	77°31'31.74"पू
32.	26°33'51.81"उ	77°31'45.94"प्
33.	26°34'18.42"उ	77°31'58.74"पू
34.	26°34'18.61"उ	77°31'58.83"पू
35.	26°34'32.62"उ	77°32'40.15"पू
36.	26°34'51.56"उ	77°32'48.08"पू
37.	26°35'10.22"उ	77°33'7.69"पू
38.	26°35'14.52"उ	77°33'36.54"प्
39.	26°35'5.34"उ	77°33'51.41"पू
40.	26°35'17.68"उ	77°34'6.39"पू

उपाबंध-IV भू-निर्देशांकों के साथ रामसागर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के साथ ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार*	तहसील/	जिला	अक्षांश (उ)	देशांतर(पू)
			तालुका		(डीएमएस प्रारूप)	(डीएमएस प्रारूप)
1.	अहमदपुर	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	25° 36' 42.6"	77° 38' 0.7"
2.	सहेरी	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26° 35' 28.1"	77° 36' 32.0"
3.	जमुहरा	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 34' 30.8"	77 ° 34' 01.9"
4.	महाराजपुरा	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 35' 58.9"	77 ° 35' 38.6"
5.	गुताखुर	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26° 35' 17.20"	77°38' 21.39"
6.	उबासा	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 32' 30.8"	77 ° 34' 40.8"
7.	मगजीपुरा	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 32' 57.3"	77 ° 36' 16.6"

8.	बनियेका	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 33' 32.5"	77 ° 37' 26.2"
9.	सेमरकोटा	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 34' 41.7"	77 ° 35' 47.3"
10.	देवीसिंगपुरा	राजस्व ग्राम	बरी	धौलपुर	26 ° 35' 27.5"	77 ° 36' 53.4"

उपाबंध-V

### पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

- 1 बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

**S.O. 3632 (E).**— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4612 (E), dated the 23<sup>rd</sup> December, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 24<sup>th</sup> December, 2019;

**AND WHEREAS**, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Ramsagar Wildlife Sanctuary is situated between 26 35' 21.5" N latitude 77 36' 25.7" E longitude and 26 32' 39.7" N latitude and 77 34' 21" E longitude. The Sanctuary is situated about 36 kilometres towards south-east of Dholpur district head-quarters in Bari Tehsil of Dholpur district in the state of Rajasthan. The total area of the Sanctuary is 34.41 square kilometres. This area was notified as 'Reserved Area' on 7<sup>th</sup> November, 1955 under the provisions of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951. It is a 'Deemed Sanctuary' under the Wildlife (Protection) Act, 1972. Preliminary notification for Forest Block Ramsagar was issued on 21<sup>st</sup> June 1956. Final notification of this forest block was issued on 21<sup>st</sup> November, 1979. It comprises of seven compartments with the total area of the forest block 34.4101 square kilometres;

AND WHEREAS, the forests of Ramsagar Protected Area along with the Ram Sagar Dam has potential for development into an ecological site representative of the local flora and fauna. The forest types in the region are – (a) Northern Tropical Dry Deciduous Thorn Forest (4B) (b) Northern Tropical Dry Deciduous Forest (5B), (c) Northern Dry Mixed Deciduous Forest (C2) in Nallas. A large number of villages are situated on the outskirts of the Sanctuary and the Sanctuary provides ecological security stability and ameliorated environment to this semi-arid region and thus

the Ramsagar Wildlife Sanctuary has conservation significance. The Ramsagar dam was built in 1905 on river Parbati for purpose of irrigation and downstream of the embankment exists as a system of canals for irrigation;

AND WHEREAS, the major flora in the protected area are khair (Acacia catechu), ronjh (Acacia leucophloea), kumtha (Acacia Senegal), dhonk (Anogeissus pendula), hingot (Balanites aegyptica), Dhak (Butea monosperma), Careel (Capparis deciduas), Heens (Capparis sepiaria), lasoda (Cordia myxa), barna (Crataeva religiosa), thor (Euphorbia spp.), papdi (Holoptelia integrifolia), jamun (Syzygium cumini), ber (Zizyphus mauritiiana), kala siris (Albizzia lebbeck), kadam (Mitragyna parviflora), sentha (Bauhinia racemosa), goya khair (Dichrostachys cineraria), badh (Ficus spp.), gathber (Zizyphus xylopyrus), khirni (Wrightia tinctoria), etc;

AND WHEREAS, the major fauna recorded from the Ramsagar Wildlife Sanctuary are Indian wild boar (Sus sacrofa cristatus), sloth bear (Melursus ursinus), jungle cat (Felis chaus), blue bull/nilgai (Boselaphus tragocamelus), Indian hare (Lepus nigricollis ruficaudatus), hedge hog (Hemiechinus auritus), striped hyena (Hyaena hyaena), jackal (Canis aureus), common mongoose (Herpested edwardsii), black buck (Antilope cervicarpa), caracal (Felis caracal), chinkara (Gazelle gazelle), wild dog (Cuon alpines), Indian fox (Vulpes bengalensis), cat-leopard (Felis bengalensis), sambhar (Cervus unicolor), spotted deer (Axis axis), crocodile (Crocodylus palustris), turtle, alligator (Gavialis gangeticus), etc;

AND WHEREAS, the important bird species of the Ramsagar Wildlife Sanctuary are blue-cheeked bee-eater (Merops persicus), green bee-eater (Merops orientalis), Indian roller (Coracias benghalensis), common hawk-cuckoo (Hierococcyx varius), red-vented bulbul (Pycnonotus cafer), crested bunting (Melophus lathami), white-eyed buzzard (Butastur teesa), citrine wagtail (Motacilla citreola), large pied wagtail (Motacilla maderaspatensis), simple golden oriole (Oriolus oriolus), black-rumped flameback (Dinopium benghalense), yellow-crowned woodpecker (Dendrocopos mahrattensis), etc; While the important butterfly, insects, reptiles species recorded from the Sanctuary are Python (Python molurus), Russels's viper (Pipera russelli), cobra (Naja naja), rat snakes (Ptyas mucosus), common Krait (Bungarus caeruleus), Indian Monitor (Varanus griseus), etc;

**AND WHEREAS**, the important rare, threatened and endangered species of the Sanctuary are hyaena (*Hyaena hyaena*), sloth bear (*Melursus ursinus*), leopard (*Panthera pardus*) etc;

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Ramsagar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to one kilometre around the boundary of Ramsagar Wildlife Sanctuary, in Dholpur district in the State of Rajasthan as the Ramsagar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 1 kilometre around the boundary of Ramsagar Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 27.50 square kilometres. The extent of Eco-sensitive Zone at various direction of the Sanctuary are given below:

Direction	Extent (kilometre)
North	0
North- East	1
East	1
South-East	1
South	1
South-West	1
West	1
North-West	1

Zero extent of Eco-sensitive Zone was justified as — "The northern boundary of the Ramsagar Wildlife Sanctuary is the embankment of Ramsagar Dam which was built in 1905. The dam is used for irrigation purpose. Just below the embankment in the north, there is the canal system from the dam, agriculture fields and villages. This permanent structure has been taken as the Eco-sensitive Zone boundary in northern part of Sanctuary. Extending the Eco-sensitive Zone beyond the embankment will result in conflict with local communities. Hence, using the physical feature as the Eco-sensitive Zone boundary the extent has been kept as zero.

- (2) The boundary description of the Ramsagar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
- (3) The maps of the Ramsagar Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, **Annexure-IIB**, **Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of the Ramsagar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure III.
- (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest and Wildlife;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Rural Development;
    - (viii) Irrigation and Flood Control;
    - (ix) Municipal;
    - (x) Panchayati Raj; and
    - (xi) Public Works Department.
  - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
  - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
  - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
  - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
  - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government.** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as -

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
  - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
  - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
  - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
  - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
    - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
  - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
  - (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste.— Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
  - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
  - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.- The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the

- Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
  - (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
  - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
  - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone. All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

### **TABLE**

Sl. No.	Activity	Description			
(1)	(2)	(3)			
A. Prohibited Activities					
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco Sensitive Zone;			
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.			
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:  Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.			
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.			
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.			
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.			

6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.			
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.			
	B. Regulated Activities				
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:			
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.			
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:			
		Provided that the local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per the building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:  Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.  (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the			
		Zonal Master Plan.			
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Ecosensitive Zone shall be permitted by the competent authority.			
11.	Felling of trees.	<ul><li>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</li><li>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</li></ul>			
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.			
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).			
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.			
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations & available guidelines.			
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.			

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.		
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated as per the appreciate laws.  Regulated for commercial purpose under applicable laws.		
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.		
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.		
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.		
22.	Commercial extraction of surface and ground water.			
23.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.		
24.	Open well, bore well and the like for agriculture or other usage	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.		
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.		
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.		
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.		
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.		
	C. Pron	noted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light and the like shall be actively promoted.		
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.		
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.		
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.		
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.		
38.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.		
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.		

**5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector, Dholpur	Chairman, ex officio;
(ii)	Sub Divisional Officer, Bari	Member;
(iii)	Honorary Wildlife Warden, Dholpur	Member;
(iv)	Pradhan Pancayat Samiti, Bari	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;

(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forests, National Chambal Ghariyal Sanctuary, Sawai-madhopur	Member-Secretary.

- **6. Terms of reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
  - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
  - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31 st March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/57/2015-ESZ-RE]

Dr SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

#### **ANNEXURE-I**

# BOUNDARY DESCRIPTION OF RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE RAJASTHAN

### A. Boundary Description of Protected Area

East : Village sahedi

West: Village jamura

North : Boundary of Ramsagar Dam

**South** : State Highway from Dholpur Gurja

### B. Boundary description of Eco-sensitive Zone - One Kilometre


**North :** Ahmadpur (1) (N 26°36'37.79" E 77°36'4.65") Kashoti khera (2) (N 26°36'30.05" E 77°36'54.92") RT Pal par (3) (N 26°36'04.36" E 77°36.59.07") maharani ki chhatri ke pass (4) (N 26°35'58.54" E 77°35.58.36") (5) chokhapura mandir ke pass (N 26°36'48.74" E 77°35'44.09")

**West :** Rambag neher (6) (N 26°36'53.30" E 77°35'27.09") mandir vishangiri (7) (N 26°35'51.87" E 77°33'43.42") nakshoda nale par (8) (N 26°35'31.59" E 77°33'40.82") moju ki khirkhari ke pass (9) (N 26°34'48.21" E 77°33'9.22")


**South :** Rambaksh ka pura (10) (N 26°33'52.53" E 77°33'04.29") obasha gram se pashchimmal (11) (N 26°32'42.61" E 77°33'46.38") barahanake pass (12) (N 26°32'11.15" E 077°33'48.42")

**East :** Obasha se patiya jhor nale par (13) (N 26°32'14.11" E 77°35'0.86") baniye ki pura (14) (N 26°33'07.90" E 077°37'26.86") Nijhampur (15) (N 26°36'27.42" E 77°38'43.35")

ANNEXURE- IIA LOCATION MAP OF RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE




# ANNEXURE- IIB GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE- IIC

# MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



### **ANNEXURE-IID**

### LANDUSE PATTERN MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY



### ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF RAMSAGAR WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Latitude	Longitude	
1.	26°35'15.27"N	77°34'14.94"E	
2.	26°35'36.72"N	77°34'15.17"E	
3.	26°36'0.38"N	77°34'37.12"E	
4.	26°36'9.40"N	77°35'1.19"E	
5.	26°36'16.84"N	77°35'10.93"E	
6.	26°36'21.44"N	77°35'25.95"E	
7.	26°36'6.79"N	77°35'34.60"E	
8.	26°35'44.47"N	77°35'40.59"E	
9.	26°35'28.96"N	77°35'37.73"E	
10.	26°35'22.35"N	77°35'47.57"E	
11.	26°35'30.00"N	77°35'54.92"E	
12.	26°35'37.52"N	77°36′8.65″E	
13.	26°35'46.43"N	77°36'26.07"E	
14.	26°35'59.16"N	77°36'52.13"E	
15.	26°35'39.06"N	77°37'16.16"E	
16.	26°35'55.65"N	77°37'19.58"E	
17.	26°35'55.01"N	77°37'49.12"E	
18.	26°36'9.79"N	77°37'53.83"E	
19.	26°35'40.33"N	77°37'55.02"E	
20.	26°34'57.90"N	77°37'53.74"E	
21.	26°34'20.58"N	77°37'26.54"E	
22.	26°33'51.40"N	77°36'36.87"E	
23.	26°33'42.76"N	77°35'51.32"E	
24.	26°33'4.98"N	77°35'31.98"E	
25.	26°32'23.80"N	77°35'15.41"E	
26.	26°32'43.98"N	77°34'45.80"E	
27.	26°33'20.33"N	77°34'32.49"E	
28.	26°32'25.77"N	77°34'2.18"E	
29.	26°32'53.99"N	77°33'30.52"E	
30.	26°33'30.52"N	77°32'52.03"E	
31.	26°33'7.82"N	77°32'11.85"E	
32.	26°33'15.03"N	77°32'41.78"E	
33.	26°33'58.24"N	77°32'27.82"E	
34.	26°34'41.55"N	77°33'24.04"E	
35.	26°34'24.21"N	77°34'4.89"E	
36.	26°34'42.52"N	77°34'35.18"E	
37.	26°34'47.68"N	77°35'21.75"E	
38.	26°35'1.11"N	77°35'32.02"E	
39.	26°35'15.15"N	77°35'7.67"E	
40.	26°35'8.73"N	77°34'38.57"E	

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Latitude	Longitude	
1.	26°35'26.27"N	77°34'18.09"E	
2.	26°35'51.28"N	77°34'24.26"E	
3.	26°36'9.55"N	77°34'48.07"E	
4.	26°36'13.09"N	77°35'6.25"E	
5.	26°36'19.23"N	77°35'17.88"E	
6.	26°36'14.60"N	77°35'30.47"E	
7.	26°35'55.42"N	77°35'38.16"E	
8.	26°35'35.44"N	77°35'41.97"E	
9.	26°35'23.84"N	77°35'41.07"E	
10.	26°35'24.34"N	77°35'54.05"E	
11.	26°35'34.93"N	77°36'0.52"E	
12.	26°35'41.97"N	77°36'17.57"E	
13.	26°35'52.84"N	77°36'38.24"E	
14.	26°36'8.37"N	77°37'8.91"E	
15.	26°36'24.54"N	77°37'39.32"E	
16.	26°36'39.34"N	77°38'8.80"E	
17.	26°36'15.39"N	77°38'34.68"E	
18.	26°35'32.82"N	77°38'30.81"E	
19.	26°34'24.94"N	77°38'5.42"E	
20.	26°33'35.04"N	77°37'26.77"E	
21.	26°33'10.52"N	77°36'8.41"E	
22.	26°32'10.31"N	77°35'51.21"E	
23.	26°31'46.99"N	77°35'6.99"E	
24.	26°32'3.53"N	77°34'29.47"E	
25.	26°31'53.69"N	77°33'45.63"E	
26.	26°32'16.86"N	77°33'16.24"E	
27.	26°32'16.71"N	77°32'41.82"E	
28.	26°32'32.40"N	77°32'19.57"E	
29.	26°32'45.70"N	77°31'45.38"E	
30.	26°33'10.99"N	77°31'32.18"E	
31.	26°33'33.42"N	77°31'31.74"E	
32.	26°33'51.81"N	77°31'45.94"E	
33.	26°34'18.42"N	77°31'58.74"E	
34.	26°34'18.61"N	77°31'58.83"E	
35.	26°34'32.62"N	77°32'40.15"E	
36.	26°34'51.56"N	77°32'48.08"E	
37.	26°35'10.22"N	77°33'7.69"E	
38.	26°35'14.52"N	77°33'36.54"E	
39.	26°35'5.34"N	77°33'51.41"E	
40.	26°35'17.68"N	77°34'6.39"E	

### ANNEXURE-IV

# LIST OF VILLAGES WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RAMSAGAR SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/	District	Latitude (N)	Longitude (E)
No.			Taluka		(DMS Format)	(DMS Format)
1.	Ahmadpur	Revenue village	Bari	Dholpur	25° 36' 42.6"	77° 38' 0.7"
2.	Saheri	Revenue village	Bari	Dholpur	26° 35' 28.1"	77° 36' 32.0"
3.	Jamuhra	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 34' 30.8"	77 ° 34' 01.9"
4.	Maharajpura	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 35' 58.9"	77 ° 35' 38.6"
5.	Gutakhur	Revenue village	Bari	Dholpur	26° 35' 17.20"	77°38' 21.39"
6.	Ubasa	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 32' 30.8"	77 ° 34' 40.8"
7.	Magjipura	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 32' 57.3"	77 ° 36' 16.6"
8.	Baniyeka	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 33' 32.5"	77 ° 37' 26.2"
9.	Semarkota	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 34' 41.7"	77 ° 35' 47.3"
10.	Devisingh pura	Revenue village	Bari	Dholpur	26 ° 35' 27.5"	77 ° 36' 53.4"

### ANNEXURE -V

### Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.